न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—राजकेश मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः— /2021

प्रार्थीगणः—

1 शिवदत चारणा पुत्र श्री गिरवरदान जाति चारण
निवासी 09 वी रोड शक्तिनगर पावटा सी रोड जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1 निनाद शर्मा पुत्र श्री नन्दलाल शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी एल 54
इनकम टैक्स कॉलोनी दुर्गापुरा जयपुर।
2 कुसुम शर्मा पत्नी निनाद शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी एल 54
इनकम टैक्स कॉलोनी दुर्गापुरा जयपुर।
3 सरकार जरिए तहसीलदार तिंवरी

प्रार्थना पत्र 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— **प्रार्थी की ओर से—अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मेदरणा।**
अप्रार्थीगण की ओर से— अधिवक्ता श्री जसवंतसिंह चौहान।

—:: निर्णय ::—

दिनांकः—13/7/2022

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया किः— प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1/2 रकबा 1.0522 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/7 रकबा 5.9651 हैक्टेयर मौजा ग्राम भैसेर कुतडी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण का शांति पूर्वक कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि के सीमाओ को आगे पिछे करके खुर्द बुर्द करना शुरू कर दी थी। जबरन कब्जा करने हेतु आमदा है। प्रार्थी ने सीमाकन की राशि राजकोश में जमा करवाकर के नियमानुसार हल्का पटवारी से दिनांक 6.7.2022 को सीमाकंन करवाया। मौके पर नाम करके हल्का पटवारी ने सीमा चिन्ह बताये उस स्थान पर प्रार्थी ने पत्थर रोपने लगे तो अप्रार्थीगण ने बाधा व रूकावट पैदा की जिस प्रार्थी ने काफी समझाइस की लेकिन अप्रार्थीगण नही मान रहे है। मौके पर लडाई झगडा हेतु आमदा है। अप्रार्थीगण नाजायज अतिक्रमण करने चाहते है। इसीलिए प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओ की पत्थरगढी करवाना चाहता है। ग्रम भैसेर कुतडी, तहसील तिंवरी, के खसरा नम्बर 1/2 रकबा 1.0522 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/7 रकबा 5.9651 हैक्टेयर की भूमि की हल्का पटवारी की सीमाकन रीपोर्ट

दिनांक 6.7.2022 के अनुसार सीमा पर पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे एवं एस.एच.ओ मथानिया को पुलिस इमदाद दिये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारंभिक आपत्तियां पेश की बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढी से सबंधित नही होकर मौके पर कब्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। जो पत्थरगढी के नियमो के विरूद्व है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर [illegible] के संबध मे दिनांक 12.11.2021 को न्यायालय सहायक कलक्टर ओसियां द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया हुआ है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की सीमाओ खुर्द बुर्द नही किया है। दिनांक 6.7.2022 को मौके पर कोई सीमांकन नही किया गया और न ही अप्रार्थीगण को सीमांकन की सूचना दी गई। अप्रार्थीगण की भूमि खरीद सुदा है जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के खिलाफ झुठे बनावटी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमीन हडपने की नियत से किया है।जो खारिज योग्य है।

बहस सुनी गई प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की सीमाओ को खुर्दबुर्द कर रहे है इसलिए पत्थरगढी कार्यवाही करवाई जावें।

बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 1/2 रकबा 1.0522 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/7 रकबा 5.9651 हैक्टेयर मौजा ग्राम भैसेर कुतडी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी चाही गई है प्रार्थीगण को उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1/2 रकबा 1.0522 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/7 रकबा 5.9651 हैक्टेयर मौजा ग्राम भैसेर कुतडी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर टीम गठित की जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है पत्थरगढी के वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावे। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो जाकर दाखिल दफ्तर हो।

13/7/22

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 13/7/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां